Ex AB 9/2017 हिन्दुस्तान कॉपर लि0 मलाजखण्ड वि. अरोरा मैथी लिमि. कोलकाता

11-01-2018

डिकीधारी विधि अधिकारी श्रीमती दीपिका उरमलिया सहित श्री अरविंद गर्ग अधिवक्ता उपस्थित। निर्णितऋणी कंपनी की ओर से विक्रय अधिकारी श्री एस0

निर्णितऋणी कंपनी की ओर से विक्रय अधिकारी श्री एस0 बैनर्जी स्वतः उपस्थित।

उभयपक्ष के हरताक्षरयुक्त राजीनामा आवेदन पत्र पेश किया गया।

उभयपक्ष की पहचान न्यायालय के समक्ष श्री अरविंद गर्ग अधिवक्ता द्वारा की गई। आवेदन पत्र के निराकरण हेतु उभयपक्ष के उपस्थित अधिकारीगण के राजीनामा कथन लेख किए गए।

निष्पादन कार्यवाही के अनुसार डिकीधारी संस्था को निर्णितऋणी संस्था से राशि वसूल किया जाना था जो उन्होंने साक्षीगण के कथन के अनुसार प्राप्त कर ली है उनके मध्य को राशि वसुली संबंधी विवाद शेष नहीं रह गया है।

अतः पेश आवेदन पत्र अभिलेख पर स्वीकार किया जाता है और निष्पादन कार्यवाही पूर्ण संतुष्टि में समाप्त की जाती है।

नतीजा दर्ज हो, नम्बर से निरस्त हो, अभिलेख अभिलेखागार में जमा हो।

> सही / – (माखनलाल झोड़) द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर